भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. *691 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है

जहाज निर्माण क्षेत्र में चुनौतियां

† 691. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाजों और उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय और विदेशी जहाजों पर माल ढुलाई भाड़ा पर वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार का दीर्घकालिक वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने और घरेलू जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जहाजों को बुनियादी ढांचे की सुसंगत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन चुनौतियों का समाधान करने और जहाज निर्माण क्षेत्र में अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम प्रस्तावित/कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): दिनांक 31.12.2024 के अनुसार भारतीय ध्वज के तहत 1,15,50,877 के सकल टनभार के साथ 1466 कार्गो पोत दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में, देश में पोत निर्माण क्षेत्र के विकास/ वृद्धि के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार है:

(i) एमओपीएसडब्ल्यू ने आधुनिक प्रौद्योगिकीयों और मशीनरी के संबंध में स्वदेशी पोत निर्माण को बढ़ाने के लिए, पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

(ii) भारतीय शिपयार्डों में 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2026 के बीच हस्ताक्षर किए गए पोत निर्माण अनुबंधों के लिए एसबीएफएपी के तहत आवंटित निधियां 4,000 करोड़ रु. है।

(iii) दिनांक 13 अप्रैल, 2016 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 112 के तहत भारत सरकार ने अवसंरचना उपक्षेत्रों की अद्यतित हार्मोनाइज्ड़ मास्टर लिस्ट (मुख्य सूची) में 'शिपयार्डों' को शामिल किया है।

(iv) नवंबर 2021 में सरकार ने भारतीय शिपयार्डों में निर्मित किए जाने के लिए टगों की खरीद हेतु महापत्तनों द्वारा उपयोग हेतु मानक टग डिजाइनों के 05 वैरीएंट जारी किए हैं।

(v) स्वदेशी पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 20.09.2023 को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जलयान के किसी भी प्रकार के चार्टर में अनुपालन करने हेतु प्रथम अस्वीकार करने का अधिकार (आरओएफआर) के क्रम को संशोधित किया है। आरओएफआर का संशोधित क्रम इस प्रकार है:

(क) भारत में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले

(ख) भारत में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित तथा भारतीय आईएफएससीए के स्वामित्व वाले

(ग) विदेश में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित तथा भारतीय स्वामित्व वाले

(घ) विदेश में निर्मित, भारतीय ध्वजांकित तथा भारतीय आईएफएससीए के स्वामित्व वाले

(ङ) भारत में निर्मित, विदेशी ध्वजांकित तथा विदेशी स्वामित्व वाले

*****